न्यायालयः अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, देसूरी, जिला-पाली, राज.

पीठासीन अधिकारी - पूना राम गोदारा
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

विविध दाण्डिक प्रकरण संख्या - 89/2026 (CIS No. 89/2026)

1- ढलाराम पुत्र पालाराम, उम्र 28 वर्ष,
2- उगाराम उर्फ उगमाराम पुत्र नेमाराम, उम्र 33 वर्ष, निवासीगण गुडा ऐंदला, तहसील पाली, जिला पाली, राजस्थान। .....प्रार्थीगण/अभियुक्तगण

बनाम

राज्य सरकार जरिये अपर लोक अभियोजक देसूरी, जिला पाली

.....विपक्षी/अभियोगी

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- 483 भा.ना.सु.सं.
एफ.आई.आर. संख्याः-प्र.सू.रि.सं. 101/2026, पुलिस थाना खिंवाड़ा, अपराध अंतर्गत धारा 303(2), 317(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023

उपस्थितिः-
1. श्री रतन कुमार, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से
2. श्री श्रवण सिंह सोलंकी, विद्वान अपर लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।

:आदेश:

दिनांक 19-06-2026

01. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट, सादड़ी, जिला पाली के द्वारा दिनांक 12-06-2026 को अस्वीकार कर दिया गया जिसके पश्चात धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत हस्तगत जमानत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश हुआ। प्रार्थना पत्र पेश होने पर नकल अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई।

02. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण निर्दोष है, इनके विरूद्ध अपराध का अरोप गलत एवं निराराधार है। प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई अपराध नहीं किया गया है जो मृत्युदण्ड से दण्डनीय हो। पुलिस को प्रार्थीगणों की कोई आवश्यकता नही है तथा कोई रिकवरी बकाया नहीं है तथा न ही उक्त प्रकरण में

गिरफ्तारी शेष है। मामला प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारनीय है तथा प्रार्थीगणों के गिरफ्तारी को हुए लगभग एक सफ्ताह का समय हो चुका है। प्रार्थीगणों के विरुद्ध किसी भी न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार के सजा दण्डित नहीं की गई है, प्रार्थीगण जो भी पाली जिले के मूल निवासी है तथा प्रार्थीगणों के तमाम् चल व अचल सम्पति सभी पाली जिले में ही निहित है, प्रार्थीगण कहीं पर भी भाग कर जाने वाले नही है। प्रार्थीगण कानून का सम्मान करने वाले है शांतिप्रिय व्यक्ति है। प्रार्थीगण नौजवान युवक है तथा समाज में अच्छी साख है तथा जेल जन जीवन का बूरा असर पडेगा। प्रार्थीगणों को जमानत का लाभ दिया जाता है तो गवाहों को टेम्परविद नहीं करेंगे तथा जब भी अनुसन्धान अधिकारी या न्यायालय तलब करेंगे हमेशा हाजिर रहेंगे तथा अनुसन्धान पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। आदि कथन करते हुये अंततः जमानत का लाभ दिया जाने का निवेदन किया।

03. इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक का तर्क रहा है कि प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध धारा 303(2), 317(2) भारतीय न्याय संहिता के गंभीर अपराध का आरोप है। अपर लोक अभियोजक का यह भी तर्क रहा है कि पत्रावली के अनुसार प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पर चोरी करने का आरोप है। इस प्रकार अभियुक्तगण का उक्त अपराध गंभीर प्रकृति का है, इसलिए प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ नहीं दिये जाने का निवेदन किया।

04. सुना गया। बहस में रखे गये तथ्यों पर मनन किया गया, केस डायरी का अवलोकन किया गया।

05. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 01-06-2026 को प्रार्थी गोविन्द सिंह पुत्र खुमसिंह उम्र 54 वर्ष, निवासी गुडा राणावतान पुलिस थाना खिंवाड़ा, जिला पाली ने थाना उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट पेश की कि प्रार्थी की तीन भैंस बड़ी व दो भैंसे छोटी जिसकी उम्र 8-9 वर्ष की एवं छोटी वाली भैंसे की उम्र 4-5 वर्ष की एवं एक भैंस के सींग की खोली उतरी हुयी है। रंग सबके काला पूछ एक के चवरा तथा शेष के काला रंग का है। दिनांक 28-05-2026 को दिन में चोरी हुयी हैं। इत्यादि---.पर पुलिस थाना सादड़ी पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 101/2026 अपराध अंतर्गत धारा 303(2), 317(2) भारतीय न्याय संहिता में दर्ज किया गया। दौराने अनुसंधान अभियुक्तगण पर अपराध अन्तर्गत 303(2), 317(2) भारतीय न्याय संहिता बनना मानकर दिनांक 08-06-2026 को गिरफ्तार कर अभिरक्षा में भिजवाया गया। हस्तगत प्रकरण

अभी अनुसंधान के प्रक्रम पर है। अभियुक्त ढलाराम के विरुद्ध दर्ज मुकदमे इस प्रकार है-

कसं	प्रकरण संख्या मय दिनांक	धारा	नाम थाना	न्यायालय निर्णय
1.	150/08.12.2023	447, 379/34 भा.द.सं.	खिंवाड़ा, जिला पाली	कोर्ट पेण्डिग
2.	05/07.01.2024	379/34 भा.द.सं.	खिंवाड़ा, जिला पाली	कोर्ट पेण्डिग
3.	108/03.09.2026	379/34 भा.द.सं.	देसूरी, जिला पाली	कोर्ट पेण्डिग

अभियुक्त उगाराम उर्फ उगमाराम के विरुद्ध दर्ज मुकदमे इस प्रकार है-

कसं	प्रकरण संख्या मय दिनांक	धारा	नाम थाना	न्यायालय निर्णय
1.	108/03.09.2026	379/34 भा.द.सं.	देसूरी, जिला पाली	कोर्ट पेण्डिग

06. उभय पक्षों के तर्को पर मनन किया गया। अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन किया गया। अनुसंधान पत्रावली के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह प्रकट होता है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पर धारा 303(2), 317(2) भारतीय न्याय संहिता का आरोप है जो कि इस न्यायालय के विचारण के योग्य है। अभियुक्तगण के विरुद्ध पूर्व के आपराधिक रिकॉर्ड पत्रावली पर उपलब्ध है, किन्तु इससे यह प्रकट नहीं होता कि अभियुक्तगण आदतन अपराधी प्रवृति के है। इस स्टेज पर विद्वान अधिवक्ता मुलजिम द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में लिये गये तर्कों के आधार पर संपूर्ण अभियोजन कहानी को झूठा करार नहीं दिया जा सकता है परंतु धारा 483 भानासुसं के प्रावधान अनुसार सत्र न्यायालय द्वारा न्यायिक विवेक का प्रयोग करते हुए किसी भी अभियुक्त को उचित शर्तों पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया जा सकता है। विभिन्न न्यायिक निर्णयों में प्रतिपादित विधि से यह स्पष्ट है कि कारावास अपवाद है तथा जमानत नियम है। **सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई (2022) 10 SCC 51** में भी सामान्य परिस्थितियों में जमानत दिए जाने के पक्ष में ही विधि प्रतिवादित की गई है। अभियुक्त से अभिरक्षाधीन अन्वेषण शेष नहीं दर्शाया गया है। साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। विचारण में उचित समय लगना स्वाभाविक है। अभियुक्त दिलावार शाह के विरूद्ध कोई पूर्व आपराधिक प्रकरण नहीं हैं। अभियुक्त करीब 15 दिन से न्यायिक अभिरक्षा में हैं जिसके कारण आपराधिक विधि के निवारक प्रयोजन की भी पूर्ति हो चुकी है। अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए एवं प्रकरण के गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

07. परिणामतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ढलाराम व उगाराम उर्फ उगमाराम की तरफ से प्रस्तुत यह नियमित जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक प्रार्थी/अभियुक्त विद्वान विचारण न्यायालय की संतुष्टि अनुसार 50000 हजार रूपये की राशि का स्वयं का मुचलका व इसी राशि का एक प्रतिभू का मुचलका अग्रलिखित शर्तों के अधीन प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तो उसे नियमानुसार अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया जाये-

(i) प्रार्थीगण/अभियुक्तगण प्रकरण की अन्वीक्षा के दौरान नियमित रूप से न्यायालय में हाजिर होता रहेगा,
(ii) प्रार्थीगण/अभियुक्तगण भविष्य में इस तरह का कोई अपराध, जिसको करने का अभियोग या सन्देह है, या अन्य कोई अपराध नहीं करेंगे,
(iii) प्रार्थीगण/अभियुक्तगण इस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिय मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा या साक्ष्य को नहीं बिगाड़ेगे या नष्ट नहीं करेगे।
(iv) प्रार्थीगण/अभियुक्तगण न्यायालय की अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगे व अपने निवास स्थान के पते में स्थाई या अस्थाई परिवर्तन होने पर परिवर्तन से पांच दिन के भीतर इस न्यायालय को सूचित करेगे।

आदेश की प्रति विद्वान विचारण न्यायालय को प्रेषित हो। केस डायरी लौटाई जावे।

(पूना राम गोदारा)
अपर सेशन न्यायाधीश,देसूरी,जिला पाली

08. आदेश आज दिनांक 19.06.2026 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर व मुद्रा के खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पूना राम गोदारा)
अपर सेशन न्यायाधीश,देसूरी,जिला पाली